

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं.: - 15/2018 (अस्थाई निषेधाज्ञा)

उनवान :- छीतर, व अन्य बनाम प्रभू व अन्य



1. छीतर
2. साधूराम
3. कालूराम

पुत्रान नाथ्या उर्फ नाथू जाति माली निवासी ढाणी पाना की तन रुण्डल तहसील आमेर
जिला जयपुर राजस्थान।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभू पुत्र भागीरथ
2. गुलाब पुत्र भागीरथ
3. हनुमान पुत्र भागीरथ
4. सुवालाल पुत्र भागीरथ
5. पप्पू पुत्र किशनलाल
6. संतोष पुत्र किशनलाल
7. शंकर पुत्र किशनलाल
8. बाबूलाल पुत्र किशनलाल
9. नानूराम पुत्र किशनलाल
10. कैलाश पुत्र किशनलाल
11. सुरेन्द्र पुत्र गुलाबचन्द
12. सोहन पुत्र गुलाबचन्द
13. महेन्द्र पुत्र गुलाबचन्द
14. मोहन पुत्र गुलाबचन्द
15. मूलचन्द पुत्र प्रभु
16. पूरण पुत्र सुवालाल

समस्त जाति मानी निवासीगण ढाणी की तन रुण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।



-अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर



प्रार्थना पत्र :- अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 27/08/19

प्रार्थीगण श्री और से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि ~~रुण्डल~~ रुण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 861, 864, 866, 872, 876/1901 एवं 912 कुल किता-6 कुल रकबा-1.44 है. के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि के समीप ही स्थित भूमि के खातेदार है। जिनका प्रार्थीगण की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित किया गया है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि 861 में निवास हेतु मकान का निर्माण करा रहे थे तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आके प्रार्थीगण की बनाई गई चार दीवारी को तोड़ दिया इसी प्रकार दिनांक 18.05.2018 को भी पुनः मौके पर आकर प्रार्थीगण की चार दीवारी व पशुओं के टीनशेड को तोड़ दिया तथा प्रार्थीगण के मकानात के निर्माण को रोक दिया। इसी प्रकार दिनांक 01.06.2018 को भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की पूर्व में तोड़ी गई चार दीवारी व टीनशेड के मरम्मत कार्यों को भी रोक दिया। यदि प्रार्थीगण अपने जानवरों के टीनशेड ठीक नहीं करवा पायेंगे तो जानवरों के लिए समस्या हो जायेगी तथा चार दीवारी की मरम्मत नहीं करने दी तों प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा समाप्त हो जायेगी व प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं हैं कि वे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत करें। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें तथा ना ही प्रार्थीगण की तोड़ी गई चार दीवारी व जानवरों के बाड़े में टीनशेड की मरम्मत के कार्य को रोके।

प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों के अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि जिस तथाकथित लिखावट (विक्रय इकरारनामा) के आधार पर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के रूप में एक अन्य वाद प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। उक्त तथाकथित लिखावटी पत्र मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही उक्त तथाकथित विक्रय पत्र/इकरारनामा पंजीकृत दस्तावेज है जिससे अपंजीकृत व अमान्य दस्तावेजों के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में स्थगन आदेश प्राप्त करने कि अधिकारीता से वंचित नहीं किया जा सकता है। जहा तक प्रश्न अप्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद बउनवानी प्रभूदयाल बनाम साधूराम के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की है तो उक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है।

जिसके सन्दर्भ में अंतिम आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का पारीत नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलाधिन आदेश में न्यायालय हाजा का स्थगन मात्र ख.नं. 872 के सन्दर्भ में तथा मात्र निर्माण की हद तक है। रिकार्ड में अंकित खातेदारीता के सन्दर्भ में कोई आदेश प्रार्थीगण के विरुद्ध पारित नहीं हुआ है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अंतिम निर्णय से पूर्व स्थगन से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाना न्यायाचित भी नहीं है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायायिक दृष्टान्त पेश किये हैं:-

(1) 2007 (1) RRT पेज-103

(2) 1995 RBJ पेज-494

(3) 1974 RRD पेज-305

(4) 2002 (2) RRT पेज-1176



प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष निराधार व मनगढंत तथ्य पेश कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम रुण्डल तहसील आमेर स्थित विवादित भूमि आ.ख.नं. 866, 872, 876/1901, 912 की भूमि पर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अन्य वाद बड़नवानी प्रभूदयाल बनाम साधूराम के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में खसरा नम्बर 872 में मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के स्थगन आदेश की कार्यवाही से बचने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध बनावटी तथा काल्पनिक तथ्य रचकर न्यायालय हाजा को मुगालते में रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मनगढंत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसका वास्तविकता से कोई से संबंध नहीं है। जब कि प्रार्थीगण मात्र ख.नं. 861 व 864 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा खसरा नम्बर 872 में अपने हिस्से 1/3 के भी मात्र 0.06 है। भूमि पर ही काबिज है। ख.नं. 872 की शेष भूमि पर अप्रार्थीगण गत लगभग 37 वर्ष से तथा प्रार्थीगण के पुख्ता मकानात बने हुये है तथा बिजली का कनेक्शन ले रखा है। शेष ख.नं. 866, 912 की सम्पूर्ण भूमि को अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा ने प्रार्थीगण के पिता से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर निरन्तर काबिज काश्त करते आ रहे हैं तथा ख.नं. 876/1901 कि सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज है व भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार ख.नं. 866, 872, 876/1901 व 912 की भूमि प्रार्थीगण की नहीं है। जिससे अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 866, 912 व 876/1901 के सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं कि वे अप्रार्थीगण को ख.नं. 866, 912, 876/1901 की भूमि में तथा खसरा नम्बर 872 की भूमि में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा सके।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया है कि विवादित भूमि के स.बेक (गत) ख.नं. 458 व 460 थे। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 458 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा नाथू पुत्र रुडा के नाम तथा भूमि ख.नं. 460 रकबा 8 बीघा 7 बीस्वा में प्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रुडा का हिस्सा 1/4 व रामेश्वर पुत्र होल्या का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थीगण के पुर्वज भागीरथ पुत्र चौथ्या का हिस्सा 1/2 निहित था। उक्त भूमि के बाबत दिनांक 15.09.1984 को राजस्व केम्प रुण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर में पक्षकारान (प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पुर्वज) के मध्य आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर वर्णित साबिका भूमि ख.नं. 458 व 460 का खाता विभाजन किया जाकर नवीन (वर्तमान) ख.नं. 861 लगायत 868, 870 लगायत 871 व 912 कायम किये गये। जिसके क्रम में प्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रुडा के हिस्से में भूमि ख.नं. 861, 864, 866, 912 रामेश्वर पुत्र होल्या के हिस्से में भूमि ख.नं. 862, 865, 870, तथा भागीरथ पुत्र चौथू के हिस्से में भूमि ख.नं. 863, 868, 874, 876, 911 अंकित कि गई तथा भूमि ख.नं. 867, 872 (आबादी), 873 (कुआ), 875, कुल किता-4 शामिल रखी गई। उक्त बटवारा होने पर सभी पक्षकारों को इस बटवारे पर कोई आपत्ति थी ना ही किसी पक्षकार ने दिनांक 15.09.1984 आज दिनांक तक किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है। अर्थात् सभी पक्षकारों को खाता विभाजन दिनांक 15.09.1984 से स्वीकार है। उक्त स्वीकृत विभाजन के अनुसार ख.नं. 872 कुल रकबा 0.24 है। भूमि शामिल भूमि थी। जिसमें प्रार्थीगण का केवल 1/3 हिस्सा निहित था तथा वर्तमान में भी मात्र 0.06 है। भूमि पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा है क्योंकि प्रार्थीगण ने ख.नं. 861 कुल रकबा 0.33 है। भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा रखा है जबकि वास्तव में 0.30 है। भूमि ही प्रार्थीगण के हक में आती है। चूंकि भागीरथ के हिस्से में आये ख.नं. 863 में 0.30 है। भूमि निहित है तथा खसरा नम्बर 872 के अपने हिस्से की 0.09 है। भूमि में अप्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात लगभग 37 वर्षों से बना रखे है तथा अप्रार्थीगण ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 15.09.1984 को सहमती के आधार पर किये गये बटवारे में शामिल खसरा नंबर 872 सम्पूर्ण का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कानून विरुद्ध है। इस प्रकार ख. नं. 872 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.24 है। प्रार्थीगण की नहीं है। ख.नं. 866 व 912 के सन्दर्भ में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 866 व 912 कुल किता 2 की कुल भूमि 0.33 है। को प्रार्थीगण वादीगण के पिता नाथूराम के द्वारा दिनांक 15.06.1991 को किशन लाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र होल्या को जरिये पांच रूपये के स्टाम्प पर गवाह के समक्ष लिखावट लिखकर 59,000/- में बेचान किया गया था तथा जिसकी सम्पूर्ण राशि 28.07.1991 को प्राप्त कर ली थी तथा लिखावट दिनांक 15.06.1991 को खसरा नम्बर 866 व 912 की सम्पूर्ण भूमि 0.33 है। पर कब्जा किशनलाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र होल्या को संभला दिया था तथा 5/- के स्टाम्प पर बेचान की लिखावट लिखी गयी थी शेष राशि 50,000/- प्राप्त करने के बाद लिखावट की पुश्त पर छितरमल व साधूराम ने अपने पिता



नाथूराम के साथ स्वयं ने भी अंगूठा निशानी लगायी थी तथा दिनांक 28.07.1991 को पुनः लिखी गयी लिखावट पर ही छितरमल व साधूराम ने अपने पिता के साथ-साथ अंगूठा निशानी लगायी थी। खसरा नम्बर 866 व 912 की सम्पूर्ण भूमि की बेचान की जानकारी नाथूलाल के सभी वारिसों को शुरू से रही है तथा नाथूराम ने खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि के उपयोग तथा नाथूराम अपने जीवनकाल में तथा नाथूराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि अप्रार्थीगण किशनलाल पुत्र भागीरथ व रामेश्वर पुत्र बनाम साधूराम का वाद दायर करने से पहले तक मिनप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के द्वारा प्रभूदयाल प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में भाई बन्धू है। दिनांक 15.06.1991 को बेचान की लिखावट के पश्चात आज तक खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि पर किशनलाल के वारिसान तथा रामेश्वर के द्वारा सम्पूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग निरन्तर किया जा रहा है तथा फसल उगाना खेती बाड़ी भी निरन्तर करते चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर 866 व 912 की भूमि केवल राजस्व रिकार्ड में मिनअप्रार्थीगण/वादीगण के नाम दर्ज है जिससे राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर तथा न्यायालय हाजा को मुगालते में रखकर मिनअप्रार्थीगण/वादीगण ने मिनप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। दिनांक 15.09.1984 को सहमति के आधार राजस्व कैम्प रूण्डल में किये गये खाता विभाजन में खसरा नम्बर 876 कुल रकबा 0.24 है। की भूमि भागीरथ पुत्र चौथू के हिस्से में आयी थी। इसके सम्पूर्ण खसरा नम्बर 876 की भूमि पर भागीरथ के वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा दिनांक 15.09.1984 से निरन्तर चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग विगत करीब 35 वर्ष से करते चले आ रहे हैं। जिसमें अप्रार्थीगण का थ्री फेस का बोरिंग स्थित है। प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 876 कुल रकबा 0.24 है। का विभाजन कर एक नया खसरा नम्बर 876/1901 कुल रकबा 0.14 है। अलग से बनवाकर गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम में दर्ज करवा लिया तथा मूल खसरा नंबर 876 का रकबा 0.24 है। से घटाकर 0.10 है। ही करवा दिया जबकि ख.नं. 876/1901 मूल ख.नं. 876 से ही बना है तथा मौके पर खसरा नम्बर 876 के सम्पूर्ण जाव पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा बीच में कोई अन्य भूमि स्थित नहीं है जबकि अलग से बनाये गये खसरा नम्बर 876/1901 कुल रकबा 0.14 है। की भूमि पर भी काश्त व फसल की बुआई अप्रार्थीगण के द्वारा ही की जा रहीं है तथा वर्तमान में 876 व 876/1901 की सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। जिसके कम में आदिनांक तक भूमि का उपयोग, उपभोग कब्जाकाश्त भी अप्रार्थीगण का चला आ रहा है एवं फसल भी अप्रार्थीगण द्वारा ही उगाई जा रही है तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के हिस्से में दिनांक 15.09.1984 को हुये बटवारों से हिस्से में आये खसरा नम्बर 876 , खसरा नम्बर 876 से अलग से बनाये गये खसरा नम्बर 876/1901 कुल



रकबा 0.14 है। (जो कि प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अलग कर बनवाया गया है) की भूमि पर भी अप्रार्थीगण का कब्जा बटवारों के पश्चात से निरन्तर है, प्रार्थीगण द्वारा मात्र ख.नं. 876/1901 राजस्व रिकार्ड में अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण को परेशान किया जा रहा है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का केवल ख.नं. 861, 864 व 872 में आये 1/3 हिस्से में भी केवल 0.06 है।

इस पर कब्जा है। प्रार्थीगण मात्र राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण को गुमराह कर रहे है। तथा अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में बाधा कारित कर रहे है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि के चारों ओर पक्की दीवार नहीं बना रखी है। जिसको अप्रार्थीगण द्वारा तोड़े जाने का तथ्य मनगढंत व झुठा है। ख. नं. 866, 912, 876/1901 तथा ख.नं. 872 की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है

तथा ख.नं. 866 व 912, 876/1901 की सम्पूर्ण भूमि पर तथा ख.नं. 872 की 0.06 है। (1/3 हिस्से से भी कम) भूमि को छोड़कर शेष पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा अप्रार्थीगण ही इसका उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। ख.नं. 872 की शेष 0.06 है। जो कि प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि है, को छोड़कर अपने हिस्से की शेष भूमि पर अप्रार्थीगण ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है तथा बिजली का कनेक्शन ले रखा है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की कोई दीवार नहीं तोड़ी गई ना ही प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की पुख्ता दीवार का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद प्रभूदयाल बनाम साधूराम के मुकदमें में ख.नं. 872 में अस्थाई निषेधाज्ञा तथा घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के मुकदमें से बचने के लिए प्रार्थीगण ने यह मुकदमा गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है जो खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जावे।


अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को भूमि ख.नं. 866 व 912 के बेचान के सन्दर्भ में रजिस्ट्री नहीं व नामान्तरण नहीं करवाने के विवाद के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में भी एक वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त बेचान के साक्षीगणों द्वारा भी न्यायालय में अप्रार्थीगण के पक्ष में हुये विक्रय बाबत बयान किया गया है तथा थानाधिकारी चन्दवाजी द्वारा भी समस्त अनुसंधानों, बयानात गवाहान, उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य सबुतो के आधार पर तस्दीक किया गया है कि प्रार्थीगणो व उनके पिता द्वारा उक्त भूमि का बेचान गवाहों के समक्ष पांच रूपये के स्टाम्प पर अग्रीमेन्ट कर तथा तय शुदा रकम 59000 रूपये प्राप्त कर बेचान अप्रार्थीगण के पुर्वज को किया गया था तथा कब्जा सम्बलाया गया था। इसके अतिरिक्त स्टाम्प पेपर की वैधता के सन्दर्भ में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि नियत मुद्रांक शुल्क का भुगतान एक पृथक विषय है जिसकी पूर्ती नियत शुल्क भुगतान कर की जा सकती है तथा मुद्रांक शुल्क अदा कर उक्त

बेचान पत्र (इकरारनामा) को पंजीबद्ध कर साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है परन्तु मूल दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उक्त बेचान पत्र की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त ख.नं. 872 के सन्दर्भ में भी प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब राजीनामा के क्रम में ख.नं. 872 शामिल रूप से दर्ज हुआ था तो उक्त खसरा अकेले प्रार्थीगण की खातेदारी में कैसे दर्ज हुआ है जबकि इसमें अप्रार्थीगण का भी 1/3 हिस्सा व अन्य का भी 1/3 हिस्सा दर्ज था जो कि विवेचन का विषय है। इसी प्रकार ख.नं. 876/1901 के सन्दर्भ में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ख.नं. 876 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुआ था तथा प्रार्थीगण की सहमती से हुये विभाजन पश्चात बने समस्त खसरा नम्बरान में 876/1901 था ही नहीं तो उक्त खसरा कहा से तथा कैसे अकेले प्रार्थीगण के नाम हुआ। इस बाबत भी कोई मिलान क्षेत्रफल या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा नाही बहस में इस बाबत कथन किया गया है। जबकि मूल खसरा नम्बर 876 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुआ है तथा दस्तावेजी साक्ष्य व गणना अनुसार भी अप्रार्थीगण का सिद्ध है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आगे यह भी कथन किया है कि हाल रिकार्ड अनुसार भूमि के अन्य मूल खातेदार रामेश्वर का भूमि खसरा नम्बर 862, 865, 870, 871 अनुसार अंकित(प्राप्त) रकबा 0.99 है। है। तथा खसरा नम्बर 872, व अन्य में भी हिस्सा है। इस प्रकार रामेश्वर का कुल हिस्सा रकबा 1.12 है। है तथा पूर्व (मूल) खाता अनुसार रामेश्वर का हिस्सा 1/4 अंकित है तथा वर्तमान खाता अनुसार नाथ्या व नाथ्या के वारिसान का कुल हिस्सा रकबा 1.44 है। किस प्रकार दर्ज हुआ है जबकि नाथ्या भी मूल खाता अनुसार 1/4 हिस्से का हिस्सेदार है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि मूल खाता(गत खाता) अनुसार ही अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 होते हुए भी वर्तमान खाते में कुल रकबा 0.78 है। अंकित है। इस पर भी प्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध भूमि खसरा नम्बर 866, 912 जो कि अपार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से कय कि गई है तथा भूमि खसरा नम्बर 876/1901 जो कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के नाम गलत रूप से अंकित करवा ली गई है व शामिल भूमि ख.नं. 872 के सन्दर्भ में पारित स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायायिक दृष्टान्त पेश किये हैं 2019 (1) RRT पेज-335,

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थना पत्र बाबत खाता विभाजन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त विभाजन अनुसार भूमि खसरा नम्बर 876 अप्रार्थीगण भागीरथ की एकल खातेदारी में तथा भूमि खसरा नम्बर 872 प्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रुडा, रामेश्वर पुत्र होल्या व अप्रार्थीगण के पूर्वज भागीरथ पुत्र चेत्या की शामिल खातेदारी में दर्ज हुई थी तथा उक्त विभाजन अनुसार खसरा नम्बर 876/1901 के रूप में कोई भूमि सृजित नहीं कि गई थी जबकि

वर्तमान रिकार्ड अनुसार भूमि खसरा नम्बर 872 शामिली दर्ज नही होकर प्रार्थीगण की एकल खातेदारी में किस आधार पर तथा खसरा नम्बर 876/1901 किस आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लिखावटी इकरारनामा दिनांक 15.06.1991, 28.07.1991 की प्रति अनुसार भी भूमि खसरा नम्बर 866 व 912 प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता द्वारा किया अप्रार्थीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र होल्या व किशनलाल पुत्र भागीरथ को बमौजूदगी गवाहान पत्र) रूपये के मुद्रांक पत्र पर हस्ताक्षरित कर विक्रय किया गया था। जिसके क्रम में स्वयं गवाहान द्वारा दिनांक 06.10.2018 को थाना अधिकारी चन्दवाजी के समक्ष बयान कलमबद्ध किये गये हैं कि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि (ख.नं. 866 व 912) का बेचान सम्पूर्ण तय शुदा रकम प्राप्त कर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किया गया था तथा राय धानाधिकारी द्वारा भी अपनी एफ.आर रिपोर्ट में बाद समस्त अनुसंधान, बयानात गवाहान व साक्ष्य सबूतों के आधार पर यह तस्दीक किया गया है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया था (जिसके सन्दर्भ में मूल एग्रीमेन्ट थानाधिकारी की जब्ती में है) जहां तक प्रश्न मुद्रांक पत्र/इकरारनामा की वैधता के मुद्रांक शुल्क का है तो उक्त सन्दर्भ में मुद्रांक शुल्क का भुगतान एक पृथक विषय है जिसकी पूर्ति नियत मुद्रांक शुल्क अदा कर की जा सकती है तथा मुद्रांक शुल्क अदा कर बेचान पत्र को पंजीबद्ध कर साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जो कि मूल वाद की विषय वस्तु है परन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मुद्रांक पत्र (स्टाम्प पेपर) पर गवाहान की मौजूदगी में तथा पक्षकारान स्वयं के हस्ताक्षरित बेचान पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्यों के अध्ययन व अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि स्थगन अधीन भूमि ख.नं. 866, 912, 876/1901 अप्रार्थीगण की मालिकाना हक की भूमि है तथा भूमि ख.नं. 872 पक्षकारान कि शामिली खातेदारी की भूमि है तथा भूमि ख.नं. 861, 864 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जो कि निर्विवाद तथ्य है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उनकी अधिकारिता की सिद्ध भूमि ख. नं. 866, 912 व 876/1901 के सन्दर्भ में निषेधाज्ञा से निषेधित रखा जाना उचित नही समझते हैं। उक्त भूमि की अधिकारिता के सन्दर्भ में अन्तिक निर्णय मूलवाद में पक्षकारान की समुचित सुनवाई के पश्चात उचित समझते हैं। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.07.2018 को प्रार्थीगण की खातेदारी की निर्विवाद भूमि खसरा नम्बर 861, 864 व पक्षकारान की दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया शामिली सिद्ध भूमि ख.नं. 872 की हद मात्र तक ताफैसला मूलवाद स्थाई किया जाता है तथा ख.नं. 866, 912, 876/1901 के सन्दर्भ में स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु. जयपुर